

जोधा

कार्यालय जोधपुर नगर निगम जोधपुर

क्रमांक:-अग्नि/13/JFS/2015-16/43

दिनांक:- 22.1.16

अरिहन्त सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड,
खसरा संख्या 213/2, 227/9 व 228
ग्राम गंगाणा तहसील लूणी,
जिला जोधपुर ।

विषय- खसरा संख्या 213/2, 227/9 व 228 ग्राम गंगाणा तहसील लूणी, जिला जोधपुर ग्रुप
हाउसिंग की अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र बाबत।

प्रसंग - आपका पत्र दिनांक 12.10.2015 के कम मे।
मान्यवर,

आपके प्रासंगिक पत्रानुसार एवं उसके संलग्न अनुच्छेद अनुसार आप द्वारा खसरा संख्या 213/2, 227/9 व 228 ग्राम गंगाणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर आवासिय (ग्रुप हाउसिंग) कुल क्षेत्रफल 52075 वर्गगज के क्षेत्रफल पर कुल 14 ईमारतो का निर्माण किया जाना है जिसमें से आज दिनांक तक छः आवासिय ईमारतो का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिस हेतु एक वर्ष के लिये एवं शेष निर्माणाधीन बहुमंजिला आवासिय ईमारतो की अशकालीन (Provisinal) अग्निशमन अनापति आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं निम्न शर्तो पर शेष ईमारतो का निर्माण पूर्ण होने तक की अवधि हेतु जारी की जाती है।

1. ईमारत का निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई निर्माण स्वीकृति अनुसार ही किया जाएगा। भूखंड के सेट बैक पूर्ण रूप से खुले रखे जाएंगे तथा उनमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा एवं आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की पालना पूर्ण रूप से की जावेगी।
2. ईमारत के भीतर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा।
3. ईमारत के सेट बैक में निर्मित होने वाले भूमिगत वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक के कवर भारी अग्निशमन वाहनों का भार वहन करने में सक्षम होंगे।
4. राष्ट्रीय भवन मानक अनुसार ईमारत में लगाए जाने वाले अग्निशमन उपकरण, पम्प, वाटर मेन्स, उच्चतम क्वालिटी के हैं। आपात स्थिति में भवन से निकासी हेतु प्रत्येक तल से सुरक्षित वैकल्पिक निकासी व्यवस्था आवश्यक होगी।
5. ईमारत में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के निरीक्षण, परीक्षण रखरखाव हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन अधिकारी को नियुक्ति किया जाएगा।
6. ईमारत में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में स्वचालित ऑटो कट रखनी होगी तथा विद्युत भार अनुसार उच्च स्तरीय विद्युत वायर एवं विद्युत उपकरणों का उपयोग करना होगा। तथा विद्युत व्यवस्था की अनापति विद्युत निरीक्षक से लेनी आवश्यक होगी।
7. ईमारत में आवश्यक स्थानों पर सुरक्षा निर्देश व निकासी सूचक रेडियम से अंकित किए जाएंगे।
8. ईमारत के निकासी मार्गों/सीढ़ियों पर आपात कालीन प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।
9. ईमारत की अग्नि सुरक्षा हेतु भविष्य में राज्य सरकार/निगम द्वारा किसी प्रकार के निर्देश दिए जाने पर उसकी पालना प्रबंधन को करनी होगी।
10. उक्त अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन के दृष्टिकोण से मान्य होगा।
11. परिसर की अग्नि सुरक्षा हेतु आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की पालना सख्ती से सुनिश्चित ना करने पर अग्निशमन अनापति स्वतः निरस्त समझी जावेगी।
12. NBC के नियमों की पालना करनी होगी।

संलग्न : शपथ पत्र की प्रति।



मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर